रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240557 CG-DL-E-25112022-240557

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5257] No. 5257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5486(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-365A के कि.मी. 10.1 से कि.मी. 31.8 (ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल कलेक्टर खम्मम को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

7839 GI/2022 (1)

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-365A के कि.मी. 10.1 से कि.मी. 31.8 (ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भिम का संक्षिप्त विवरण ।

अजन का जान वाला सरचना राहत अथवा सरचना साहत भूमि का साक्षप्त विवरण ।										
राज्य का नाम: तेलंगाना जिले का नाम: खम्मम										
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि का क्षेत्रफल					
				(स्थानीय इकाई)	(हेक्टेयर)					
तालुक का नाम: खम्मम (रूरल)										
गांव का नाम: गुडीमल्ला										
1	264	निजी(पट्टा)	केऽ	287.0000000(वर्ग मीटर)	0.0287000					
2	265	निजी(पट्टा)	क्र	447.000000(वर्ग मीटर)	0.0447000					
3	297	निजी(पट्टा)	केऽ	251.0000000(वर्ग मीटर)	0.0251000					
तालुक का नाम: मुदिगोंदा										
गांव का नाम: गोकिनापल्ले										
1	152	निजी(पट्टा)	क्षेत्र	127.0000000(वर्ग मीटर)	0.0127000					
गांव का नाम: सुवार्नापुरम										
1	325	निजी(पट्टा)	केऽ	102.000000(वर्ग मीटर)	0.0102000					
2	327	निजी(पट्टा)	केऽ	253.000000(वर्ग मीटर)	0.0253000					
तालुक का नाम: नेलकोंडपल्ली										
गांव का नाम: बोडुलाबंदा										
1	661	निजी(पट्टा)	केंद्र	51.000000(वर्ग मीटर)	0.0051000					
2	664	निजी(पट्टा)	कैंड्र	380.000000(वर्ग मीटर)	0.0380000					
3	665	निजी(पट्टा)	केंद्र	304.000000(वर्ग मीटर)	0.0304000					
			2,202.0000	0.2202						

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2016/3A1] राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

S.O. 5486(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-365A in the stretch of land from Km. 10.1 to Km. 31.8 (Office of District Collector Khammam) in the district of KHAMMAM in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Collector, Khammam in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-365A in the stretch of land from NH-365A (Office of District Collector Khammam) in the district of KHAMMAM in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: KHAMMAM							
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)					
Taluk: Khammam (Rural)									
Village: Gudimalla									
1	264	Private(Patta)	Dry	287.0000000(Square Meter)	0.0287000				
2	265	Private(Patta)	Dry	447.0000000(Square Meter)	0.0447000				
3	297	Private(Patta)	Dry	251.0000000(Square Meter)	0.0251000				
Taluk: Mudigonda									
Village: Gokinepalli									
1	152	Private(Patta)	Dry	127.0000000(Square Meter)	0.0127000				
Village: Suvrnapuram									
1	325	Private(Patta)	Dry	102.0000000(Square Meter)	0.0102000				
2	327	Private(Patta)	Dry	253.0000000(Square Meter)	0.0253000				

Talu	Taluk: Nelakondapalle								
Village: Bodulabanda									
1	661	Private(Patta)	Dry	51.0000000(Square Meter)	0.0051000				
2	664	Private(Patta)	Dry	380.0000000(Square Meter)	0.0380000				
3	665	Private(Patta)	Dry	304.000000(Square Meter)	0.0304000				
			al 2,202.0000	0.2202					

[F. No. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2016/3A1]
RAJESH GUPTA, Director